राजस्थान राज-पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित | Published by Authority
भाद्र 20, शुक्रवार, शाके 1931—सितम्बर 11, 2009
Bhadra 20, Friday, Saka 1931—September 11, 2009

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 11, 2009

संख्यां प. 2(18) विधि/2/2009.– राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 सितम्बर, 2009 को प्राप्त हुई, एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक16)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 सितम्बर, 2009 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और उससे संसक्त और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.– 1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह राज–पत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.—जब तक कि विषय या संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "विवाह का प्रमाणपत्र" से धारा 9 के अधीन जारी विवाह का प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ख) "विवाह" में पुनर्विवाह सम्मिलित है;

(ग) "ज्ञापन" से धारा 7 में वर्णित विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन अभिप्रेत है;

(घ) "रजिस्टर" से धारा 13 के अधीन संधारित विवाह का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ङ) "रजिस्ट्रार" से धारा 4 के अधीन नियुक्त विवाह का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(च) "जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" से धारा 5 के अधीन नियुक्त जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) "महारजिस्ट्रार" से धारा 6 के अधीन इस रूप में पदाभिहित महारजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(ज) "अनुष्ठापित करना" से किसी भी रूप में या रीति से विवाह करना अभिप्रेत है;

(झ) "प्रस्तुत करना" में रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजना सम्मिलित है।

3. विवाह के रजिस्ट्रीकरण का अनिवार्य होना.—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक हैं, के बीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा।

4. रजिस्ट्रार की नियुक्ति.—राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इतने व्यक्तियों को, जितने वह आवश्यक समझे, नाम से या पदाभिधान से, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए, जो विहित किये जायें, विवाह के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

5. **जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति.**– राज्य सरकार, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा नाम से या पदाभिधान से संबंधित जिले के लिए जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

6. **महारजिस्ट्रार.**–राज्य सरकार, राज–पत्र में अधिसूचना द्वारा, स्वाधीन विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को मानीटर और पुनरीक्षित करने के लिए राजस्थान राज्य के लिए विवाह के महारजिस्ट्रार के रूप में पदाभिहित कर सकेगी।

7. **विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन.**–विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन ऐसे प्ररूप में होगा जैसा विहित किया जाये।

8. **ज्ञापन प्रस्तुत करने का कर्तव्य.**–(1) पक्षकार, या जहां पक्षकार इक्कीस वर्ष के न हों वहां पक्षकारों के माता पिता या, यथास्थिति, संरक्षक विवाह के अनुष्ठापन की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर–भीतर, उस रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है या दोनों पक्षकार या उनमें से कोई निवास करता है।

(2) कोई भी ज्ञापन, जो उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो, ऐसी शास्ति के संदाय पर, जो विहित की जाये, किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकेगा।

9. **विवाह का रजिस्ट्रीकरण और विवाह का प्रमाणपत्र.**–सभी प्रकार से पूर्ण ज्ञापन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार विवाह का विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण करेगा और, उस व्यक्ति को, जिसने ज्ञापन प्रस्तुत किया है, विहित प्ररूप में विवाह का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

10. **इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह का रजिस्ट्रीकरण.**–इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठापित किसी भी विवाह का, धारा 7 के अधीन विहित प्ररूप में ज्ञापन प्रस्तुत करने और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाये, रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा।

11. अरजिस्ट्रीकरण विवाह को अविधिमान्य नहीं करेगा.—कोई विवाह मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा कि ऐसा विवाह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है।

12. शास्ति.—(1) कोई भी व्यक्ति —

(क) जो, धारा 8 के अधीन ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होते हुए भी, उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसा ज्ञापन प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ख) जो, ज्ञापन में कोई ऐसा कथन या घोषणा करता है जो तात्विक विशिष्टि में मिथ्या हो और जिसके मिथ्या होने के बारे में वह जानता हो या उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो,

दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो विहित किया जाये, दण्डनीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई भी अभियोजन, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के सिवाय संस्थित नहीं किया जायेगा।

13. रजिस्टर और अभिलेखों का संधारण.—रजिस्ट्रार ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से विवाह का रजिस्टर संधारित करेगा जो विहित की जाये और ऐसे अन्य सुसंगत अभिलेख भी संधारित करेगा।

14. रजिस्टर और अभिलेखों का लोक निरीक्षण के लिए खुला होना और उद्धरणों की प्रमाणित प्रतियों का दिया जाना.—(1) इस अधिनियम के अधीन संधारित रजिस्टर और अभिलेख रजिस्ट्रार को किये गये आवेदन और ऐसी फीस, जो विहित की जाये, के संदाय पर समस्त युक्तियुक्त समय पर लोक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे;

(2) इस निमित्त किये गये आवेदन पर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाये, रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संधारित रजिस्टर या अभिलेख के किसी उद्धरण की प्रति आवेदक को देगा।

15. रजिस्ट्रार द्वारा विवाह के प्रमाणपत्र की प्रति जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाना.—जब रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन किसी विवाह को रजिस्ट्रीकृत करता है तब वह तदुपरान्त तत्काल विवाह प्रमाणपत्र की एक प्रति जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा जो उसके लिए विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के कार्य को मानीटर और पुनरीक्षित करने में सहायक होगी।

16. रजिस्ट्रार का लोक सेवक होना.—प्रत्येक रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी, जब वह इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहा हो या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

17. संरक्षण.—किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की जाये या की जाने के लिए आशयित हो।

18. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जायेगा।

19. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी भी मामले के

लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) ज्ञापन का प्ररूप;

(ख) ज्ञापन के साथ दी जाने वाली फीस;

(ग) विवाह के प्रमाणपत्र का प्ररूप;

(घ) रजिस्टर का प्ररूप और वह रीति जिसमें ऐसा रजिस्टर संधारित किया जायेगा;

(ङ) अन्य अभिलेख जो रजिस्ट्रार द्वारा रखा और संधारित किया जायेगा और वह प्ररूप और रीति जिसमें ऐसा अभिलेख संधारित किया जायेगा;

(च) रजिस्टर और अन्य अभिलेखों के निरीक्षण के लिए फीस;

(छ) रजिस्टर और अन्य अभिलेखों के उद्धरणों की प्रमाणित प्रतियां दिये जाने के लिए आवेदन का प्ररूप और फीस;

(ज) कोई भी अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए विहित किया जाना हो या किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उस सत्र की जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हो, या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल दोनों सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके

अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

20. अधिनियम का कतिपय विवाहों पर लागू न होना.—यह अधिनियम भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 15), पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 3) या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) के अधीन अनुष्ठापित विवाहों पर लागू नहीं होगा।

21. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश आदेश क्रमांक प. 6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22-05-2006 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन होने पर भी, उक्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत सभी विवाह, समस्त प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझे जायेंगे और उक्त दिशा निर्देशों के अधीन जारी सभी प्रमाण पत्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किये गये समझे जायेंगे।

—एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।